SHRI N. G. GORAY : Sir, I would like to point out that this question really raises an issue of general policy so far as irrigation is concerned. What is happening in this case is happening in so many cases. If this question is left to be decided by the Chief Ministers of various States, it is not going to be decided at all. Therefore, Sir, I would request the Government to consider whether it will be possible for them to treat this as a national issue, and take these issues out of the hands of the Chief Ministers, and establish River Authorities so that they can deal with this problem and the Chief Ministers need not play to the gallery ?

MR. CHAIRMAN : This is a suggestion for action for the Government to consider. Would the Prime Minister want to say anything ?

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF ATOMIC ENERGY (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Sir, I am only saying to hon'able friend opposite that these are very complicated matters, and merely having tribunal or some other body is not going to rid us of the difficulties. The difficulties are local, whether it is Chief Minister who deals with them or somebody else. And that is why, while I fully appreciate the hon'ble Member's desire that it should be expedited—and I sincerely hope that it will be; we will do everything we can to expedite the decision—the hon'ble Members should appreciate that when there are complex matters, sometimes by taking a quick decision, we create some other problems. We have to avoid that.

डाक जीवन बीमा योजना

*614. श्री सुब्रमण्यम स्वामी : †
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री ओम् प्रकाश त्यागी :
डा० रामकृपाल सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) डाक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रीमियमों की दरें क्या हैं और यह दरें किस किस तारीख को और किस आधार पर निश्चित की गई थी ;

(ख) गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष मे पालिसी होल्डरों को कितना बोनस दिया गया ;

(ग) प्रीमियम और बोनस की ये दरें जीवन बीमा निगम के प्रीमियम और बोनस की दरों से कितनी भिन्न है ;

(घ) क्या सरकार डाक जीवन बीमा योजना को सभी भारतीय नागरिकों के लिये लागू करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

†[Postal Life Insurance Scheme

*614. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :
SHRI O. P. TYAGI :
DR. RAMKRIPAL SINHA :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the rates of various kinds of premia under the Postal Life Insurance Scheme together with the dates when these rates were fixed and the basis on which these were fixed;

(b) the amount of bonus allowed to policy holders during each of the last three years;

(c) how do these rates of premia and bonus differ from those of the Life Insurance Corporation;

(d) whether Government propose te extend the Postal Life Insurance Scheme to all the Indian citizens; and

(e) if so, by when and if not, the reasons therefor?]

संचार मन्त्री डा० शंकरदयाल शर्मा : (क) से (ङ) तक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) डाक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की किश्तों की दरें अनुबंध में दे दी गई है। संपूर्ण जीवन बीमा और मियादी बीमा पालिसियों के लिए संशोधित किश्त की दरें जो तालिका-I और II में दी हुई हैं, अप्रैल, 1967 में निश्चित की गई थीं। [**देखिए** परिशिष्ट 90, अनुपत्र स० . . 76 और 77. .] तालिका-III के अन्तर्गत दिखाई गई परिवर्तनीय सपूर्ण जीवन बीमा पालिसियों के लिए किश्त-दरें 1 सितम्बर, 1971 से लागू की गई है। [**देखिए** परिशिष्ट 90, अनुपत्र स० . . 78]

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Subramanian Swamy.

†[ ] English translation.

किश्त की दरें शिमला स्थित बीमा नियंत्रक (वित्त मंत्रालय के अधीन) के परामर्श से निश्चित की जाती है। डाकघर बीमा निधि और डाक जीवन बीमा से संबंधित अन्य ममलों के लिए यही जीवनांकक (एक्चुअरी) हैं।

किश्तों की दरें मृत्यु-दर संबंधी अनुभव, डाक जीवन बीमा योजना चलाने की लागत और डाक जीवन बीमा निधि पर ब्याज की कमाई के आधार पर निश्चित की जाती है।

(ख) संपूर्ण जीवन बीमा और मियादी बीमा पालिसियों पर 1-4-1969 से 31-3-72 तक बीमा हुई रकम पर सालाना प्रति हजार क्रमश: 32 रुपये और 24 रुपये की दरों से बोनस दिया जाता है।

(ग) जीवन बीमा निगम और डाक जीवन बीमा प्राधिकरण 1000 रुपये के बीमा के लिए जो माहवार किश्तें लेते हैं और उस पर जो बोनस देते हैं, उनकी तुलनात्मक दरें नीचे दी गई है.

I. सम्पूर्ण जीवन सीमित अदायगी पालिसियां (लाभ सहित)

प्रवेश के समय उम्र	अवधि (किश्तें अदा करने के) वर्ष					
	15		20		30	
	डाक जीवन बीमा	*जीवन बीमा निगम	डाक जीवन बीमा	*जीवन बीमा निगम	डाक जीवन बीमा	*जीवन बीमा निगम
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
20	..	3.49	..	2.81	1.70	2.15
25	..	3.76	..	3.03	1.85	2.33
30	..	4.07	2.70	3.29	2.10	2.57
35	3.65	4.44	3.00	3.60	..	2.88
40	4.10	4.87	3.40	4.01	2.75	3.29
45	4.60	5.38	..	4.52	..	..
50	..	6.05	4.45	5.22		

मियादी बीमा (लाभ सहित)

प्रवेश के समय उम्र	अवधि वर्ष					
	15		20		30	
	डाक जीवन बीमा	*जीवन बीमा निगम	डाक जीवन बीमा	*जीवन बीमा निगम	डाक जीवन बीमा	*जीवन बीमा निगम
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
20	5.50	5.90	4.00	4.35	2.55	2.84
25	5.50	5.92	4.00	4.38	2.60	2.90
30	5.50	5.95	4.05	4.43	2.65	3.00
35	5.55	6.02	4.10	4.53	..	3.18
40	5.65	6.16	4.25	4.71	..	3.50
45	5. 5	6.40	..	5.04	..	..
50	..	6.82	..	5.59		

*जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अन्तर्गत माहवार किश्त।

II. जीवन बीमा निगम और डाक जीवन बीमा में बीमा की गई रकम पर मासाना प्रति हजार बोनस की जो दरें घोषित की हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	मूल्यांकन अवधि	संपूर्ण जीवन बीमा	मियादी बीमा
जीवन बीमा निगम	1-4-1969 से 31-3-1971 और		
	1-4-1971 से 31-3-1973 तक	22 रुपये	17.60 रुपये
डाक जीवन बीमा	1-4-1969 से 31-3-1972 तक	32 रुपये	24.00 रुपये

टिप्पणी.—जीवन बीमा निगम में मूल्यांकन हर दो साल में किया जाता है और डाक जीवन बीमा में यह मूल्यांकन हर तीन साल में किया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) डाक जीवन बीमा का कार्य क्षेत्र ग्राम जनता तक बढ़ाने के प्रस्ताव की समय-समय पर जांच की गई है किन्तु यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है ।

†[THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (DR. SHANKAR DAYAL SHARMA) : (a) to (e) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The rates of various kinds of premia under the Postal Life Insurance Scheme are given in the Annexure. The basic premium rates which have been recast in Table I and II of the annexure for Whole life and Endowment Assurance policies were fixed in April, 1967.[*See* Appendix XC, Annexure No. 76 and 77]. Premium rates for convertible whole-life policies under table III were introduced from Ist Sept., 1971. [*See* Appendix XC., Annexure No 78]

The premium rates are fixed in consultation with the Controller of Insurance, Simla (under the Ministry of Finance) who is the actuary for the Post Office Insurance Fund and other connected PLI matters.

The rates of premia are fixed on the basis of mortality experience, the cost of running the PLI scheme, and interest earnings of the fund.

(b) Bonus @ Rs. 32/- and Rs. 24/- per thousand sum assured per annum is allowed from 1-4-69 to 31-3-72 on Whole-life and Endowment Assurance policies respectively.

(c) The comparative rates of monthly premium/and bonus allowed for assurance of Rs. 1000 charged by the Life Insurance Corporation and Postal Life Insurance authority are given below :—

Whole Life Limited Payment Policies (with profit)

Age at entry	Term (premium paying) Years					
	15		20		30	
	P.L.I.	L.I.C.*	P.L.I.	L.I.C.*	P.L.I.	L.I.C.*
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
20	..	3.49	..	2.81	1.70	2.15
25	.	3.76	..	3.03	1.85	2.33
30	..	4.07	2.70	3.29	2.10	2.57
35	3.65	4 44	3.00	3.60	..	2.88
40	4·10	4.87	3.40	4.01	2.75	3.29
45	4.60	5.38	..	4.52	..	..
50	..	6.05	4.45	5.22	.	..

†[ ] English Translation.

*Monthly premium under Salary Savings Scheme of L.I.C

Endowment Assurance (with profit)

Age at entry	Term (Years)					
	15		20		30	
	P.L.I.	L.I.C.*	P.L.I.	L.I.C.	P.L.I.	L.I.C.*
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
20	5.50	5.90	4.00	4.35	2.55	2.84
25	5.50	5.92	4.00	4.38	2.60	2.90
30	5.50	5.95	4.05	4.43	2.65	3.00
35	5.55	6.02	4.10	4.53		3.18
40	5.65	6.16	4.25	4.71	.	3.50
45	5.85	6.40	.	5.04	.	
50	..	6.82	..	5.59	..	

*Monthly premium under Salary Savings Scheme of L.I.C.

II. *The rates of bonus per thousand sum assured, per annum declared by the Life Insurance Corporation and the Postal Life Insurance are given below* —

	Valuation period	Whole Life Assurance	Endowment Assurance
		Rs.	Rs.
Life Insurance Corporation	1-4-1969 to 31-3-71 & 1-4-1971 to 31-3-73	22.00	17.60
Postal Life Insurance	1-4-1969 to 31-3-1972	32 00	24.00

NOTE :—In the Life Insurance Corporation the valuation is conducted every two years and in the Postal Life Insurance every three years.

(d) No, Sir.

(e) The question to extend the scope of Postal Life Insurance to General public has been examined from time to time but found unworkable.]

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, the Finance Minister in an earlier Question on a similar subject admitted that the working expenses of the postal life insurance are much lower than of the life insurance, and this has made it possible for a lower premium for the postal life insurance. In view of this, and in view of the fact that the working expenses as a percentage of the total expenses are so low—they are 8 per cent lower than even international standards—has the Minister taken the trouble to study why the LIC should have such an expense ratio; or, relatively speaking, why the postal life insurance should have such a low working expense ratio?

SHRI S. D. SHARMA : The question relating to the addressed to the Finance Ministry. So far as the postal life insurance is concerned, this is meant for a special category. It was started in 1883 with the object of helping the postal employees first. Then, it was extended to other Central Government employees, State employees and emyloyees of local bodies. The whole thing is done by the P. and T. Department as a sort of service on a no profit, no loss basis. Our employees over and above their normal work do this work. Naturally the expenses here are less.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : I want to ask the Minister whether, like the LIC, you also in the postal insurance scheme, allow for the agency system and, if so, are there direct relatives of Cabinet Ministers who have been given agencies ?

SHRI S. D. SHARMA : We have a limited provision for it and it is restricted to retired P. and T. personnel.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, मंत्री महोदय अपने उत्तर के भाग (ई) में कहा है–

"The question to extend the scope of Postal Life Insurance to general public has been examined from time to time but found unworkable."

आपने बताया कि इसमें खर्चा कम आता है, एजेंसी का सिस्टम ठीक है, बेनामी एजेंट होने की गुंजाइश भी नहीं है और इस कारण से यह सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है। आपने कहा है कि जनरल पब्लिक को एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन जितने सेलरीड एम्पलाईज हैं, चाहे वे गवर्नमेंट के हों, चाहे प्राइवेट हों, इंडस्ट्री के हों उनके लिए भी एक्सटेंड करने पर क्या आप विचार कर सकते हैं ताकि जिस प्रकार की बुराइयां एल० आई० सी० में आ गई है उनसे बचकर पोलिसी होल्डर्स को ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके।

श्री एस० डी० शर्मा : इस प्रश्न पर कई बार विचार किया गया कि क्या इसको पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए भी एक्सटेंड किया जाए, लेकिन विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि जब 1956 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को अलग रखा गया था–जब लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया था–तो उसका एक ही कारण था कि यह एक विशिष्ट वर्ग के लिए थी पी० एंड टी० एम्पलाईज के लिए। दूसरों के लिए एक्सटेंड करेंगे तो एल० आई० सी० के साथ हमारा कम्प्टीशन होगा और जब ज्यादा इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे अखराजात और खर्च बढ़ जाएंगे और जो बेनीफिट्स हैं वे कम हो जाएंगे और इन तमाम कारणों को सोचकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसको यहीं तक रखा जाए और कोशिश की जाए कि जो हमारे एम्पलाईज पी० एंड टी० के 7–8 परसेंट इंश्योर हुए हैं उनके अलावा जो दूसरे भी सेलरीड एम्पलाईज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के और लोकल बाडीज के उन सब तक यह फायदा पहुंच सके। जब उनको ज्यादा कवर कर लेंगे तब दूसरों का सवाल ले सकेंगे।

डा० रामकृपाल सिंह : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और यदि अनिवार्य नहीं है तो क्या सरकार ने जिस प्रकार ट्रिपिल बेनीफिट की योजना अनेक प्रांतों में है––प्रोवीडंट फंड, लाईफ इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी–निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ–डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य जीवन बीमा लागू करने और प्रीमियम रेट कम रखने की कोई ऐसी योजना बनाई है?

किसी तरह का पी० एंड टी० इम्प्लाईज के साथ जबरदस्ती करने का या उसको अनिवार्य करने का विचार नहीं है। और अनिवार्य करने से यह सस्ता हो जाएगा या इसके लिए कोई अलग प्रीमीयम रखा जाए यह भी विचार नहीं है, लेकिन प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस में आ जाएं तो ठीक होगा और इसके लिए परसुएशन के द्वारा हम ज्यादा कोशिश करते हैं।

श्री राजनारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने क्यों यह उत्तर दिया कि डाक जीवन बीमा और जीवन बीमा निगम, इन दोनों में जो अन्तर है वह इसलिए कि यह डाक जीवन बीमा है माननीय मंत्री जी के मातहत और जीवन बीमा निगम है वित्त मंत्री के मातहत यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो स्टाफ ट्रेनिंग कालेज है हैदराबाद में, उसके बारे में कोई बात उसकी जानकारी में आयी है कि भारतवर्ष में जीवन बीमा के लिए जो लोगों को एग्ज़ोनरेशन (कमीशन) दिया जाता है वह बहुत ज्यादा दिया जाता है दूसरे मुल्कों से। भारतवर्ष में वह ज्यादा दिया जाता है और मुझे यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता इस लिए पड़ गई कि प्रधानमंत्री जी यहां हैं और प्रधान मंत्री जी इसकी सफाई कर दें क्योंकि इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि श्रीमती सोनिया को एक कम्पनी के बीमे में दस हजार रुपया महीना मिलता है इसलिए कि उनके पते में प्राइम मिनिस्टर्स हाउस लिखा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सत्य है अथवा असत्य?

SHRI OM MEHTA : Sir, he is again and again repeating the same thing.

श्री गुणानन्द ठाकुर : (*Interruptions*) यह कोई तरीका नहीं है, सभापति जी, कि इस तरह के सवाल उठाने की हर समय इजाजत दी जाए और वह हर समय ऐसी बातें करें। क्या यही राजनीति है? यह तो तमाशा हो गया है?

(*Interruptions*)

Mr. CHAIRMAN : Silence please. Mr. Minister.

श्री एस० डी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने कभी नहीं कहा कि यहां पर खर्च कम है इसलिए कि यह महकमा मेरे मातहत है और दूसरे में खर्च ज्यादा है इसलिए कि वह किसी दूसरे मंत्री के मातहत है। हम तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री के एजेंट की तरह से काम करते हैं। मैंने खर्च की कमी की बात इसलिए बतायी कि हम अपने विभाग के जो दूसरे काम करते हैं उसी के साथ ही यह काम भी करते हैं और दूसरे इसमें बड़ी सीमाएं हैं। हर महीने हम को प्रीमियम मिल जाता

हे तनख्वाह के साथ। केवल एक जगह जहां हमने कुछ ज्यादा सहूलियत दी है। वह हमारे वार पर्सनल्स है और उनके लिए एवियेशन रिस्क या वार रिस्क की वजह से हमने कोई प्रीमियम नही बढ़ाया है, बाकी हमारे यहा छोटा काम होने से और दूसरे कामो के साथ यह काम होने से इसमें खर्च कम होता है। जहा तक इस बात का सवाल है कि एल०आई०सी० में खर्च ज्यादा क्यों होता है, उसके लिए मैंने जरूर कहा था कि उसको दूसरे विभाग को देखना है और वह उसको देखेंगे कि वहा खर्च ज्यादा क्यों होता है। लेकिन साथ ही आप यह भी याद रखें कि जो उनके काम करने वाले है उनकी भलाई की बात भी हमको देखनी होती है। हम दूसरो की तरह काम नही कर सकते। और तीसरी बात जो राजनारायण जी ने कही, उसके लिए जो उनके मन में कुछ न कुछ होता ही है जिसको उन्हे कहना चाहिए। जब वह खड़े होते हैं तो इन्दिरा जी के लिए बिना कुछ मनगढंत कहे वह रह नहीं सकते। वैसे हर व्यक्ति को अधिकार है कि भले ही वह किसी का रिश्तेदार हो, सही तरीके से अपना काम कर सकता है और इस संविधान के रहते हुए हम किसी पर कोई रोक नही लगा सकते और मैं समझता हूं कि राजनारायण जी भी सोचेंगे कि इसमें किसी पर कोई रोक नही लगनी चाहिए। जो पोलिटिक्स मे आए, उस पर आप आक्रमण कीजिए लेकिन भलमनसाहत का तकाजा यह है कि हम दूसरों पर छींटे न उछाले।

श्री राजनारायण : श्रीमन् मेरी व्यक्तिगत सफाई यह है कि मेरी कोई आदत नही है किसी पर आक्षेप करने की। साफ बात यह है कि सोनिया गाधी को ओरियंटल फायर इंश्योरेंस से 10 हजार रुपया मिलता है। (*Interruptions*) मैं किसी पर आक्षेप नही करता हू लेकिन (*Interruption*) वह 10 हजार पाती है।

श्री गुणानन्द ठाकुर : श्रीमन् इस तरह से गलत बातें बताने का मौका इनको नही देना चाहिए। इस तरह से लोकतन्त्र नही रहेगा।

(*Interruption*)...

SHRI P L. KUREEL URF TALIB : Sir, he is in the habit of making..

MR CHAIRMAN : Please resume your seats. Next question.

प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) . नही पाती है।

Payment of Electricity Arrears

*615. SHRI QASIM ALI ABID:
SHRI MAQSOOD ALI KHAN:
SHRI GANESH LAL MALI:
SHRI IBRAHIM KALANIYA:
SHRI KHURSHEED ALAM KHAN:†

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to Starred Question 233 given in the Rajya Sabha on 2nd May, 1974 and state :

(a) whether the dispute regarding Payment of electricity arrears between the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Municipal Corporation has since been settled; and

(b) If so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : (a) and (b) No, Sir. The Lt. Governor, Delhi made an effort to resolve the issues but as no agreement was forthcoming he suggested that the matter might be referred for arbitration as earlier agreed to by the two local bodies. Government have accepted the suggestion and necessary steps are being taken in this regard.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN: Sir, Delhi is a city of growth and challenges. It has been suffering from inadequacies and inefficiency of basic civic services. This is obviously attributable to the inefficiency of the Municipal Corporation of Delhi. Therefore, I would like to know, in the first instance, what is the actual amount claimed and what is the actual amount admitted by the New Delhi Municipal Committee.

SHRI OM MEHTA : It is about Rs. 4 crores that is being demanded by D.M.C. But the N.D.M.C. has not admitted anything : they are challenging the amount.

SHRI KHURSHEED ALAM KHAN : May I also know from the hon'ble Minister what is [the present position of the proposal for setting up an autonomous electricity board for Delhi, and if the proposal is under consideration of the Government how soon this is going to be set up as electricity should be taken away from the Municipal Corporation of Delhi as soon as possible?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Khrsheed Alam Khan.